पत्र सं०–6 एस०एस०(6)02/2023– 2197/

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक–....20/..05..../2025.

**अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा :– ****आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में सात निश्चय–2 के तहत कुल ₹ 3683.550 लाख (रुपये छत्तीस करोड़ तेरासी लाख पचपन हजार) मात्र की अनुमानित लागत व्यय पर देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के सभी वर्गो के कृषकों/पशुपालकों/बेरोजगार युवक–युवतियों के लिए स्वरोजगार के सृजन हेतु 02 एवं 04 देशी गाय/बाछी–हिफर (साहिवाल, गिर, थारपारकर) की डेयरी इकाई की स्थापना पर अनुदान व्यय करने की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या–2093, दिनांक–20.06.2024 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025–26 में सात निश्चय–2 के तहत कुल ₹ 3683.550 लाख (रुपये छत्तीस करोड़ तेरासी लाख पचपन हजार) मात्र की अनुमानित लागत व्यय पर देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के सभी वर्गो के कृषकों/पशुपालकों/ बेरोजगार युवक–युवतियों के लिए स्वरोजगार के सृजन हेतु 02 एवं 04 देशी गाय/बाछी–हिफर (साहिवाल, गिर, थारपारकर) की डेयरी इकाई की स्थापना पर अनुदान व्यय करने की स्वीकृति। प्रदान की है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी–'क', 'ख' एवं 1, 2 एवं 3 के रूप में भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य संलग्न है।

2) इस योजना के माध्यम से देशी गायों के सम्वर्द्धन हेतु राज्य के सभी वर्गो के कृषकों/पशुपालकों/बेरोजगार युवक–युवतियों को स्वरोजगार का अतिरिक्त अवसर सृजित कर विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा 02 एवं 04 देशी गाय/बाछी–हिफर की डेयरी इकाई की स्थापना पर अत्यंत पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 75 प्रतिशत एवं अन्य सभी वर्गों के लिए 50 प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है।

3) प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन से निम्नांकित मूल लाभ होंगे :–

- राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी।
- स्वरोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित होंगे।

- राज्य में प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन से देशी गायों की संख्या में वृद्धि होगी।
- राज्य दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा।

4) प्रस्तावित योजना अन्तर्गत निर्धारित देशी गायों/बाछी–हिफर (साहिवाल, गिर, थारपारकर) का क्रय राज्य के बाहर से किया जायेगा।

5) प्रस्तावित योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी/सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु इच्छुक आवेदकों द्वारा दुधारू देशी गाय/बाछी–हिफर की स्थापना हेतु अपना आवेदन गव्य विकास निदेशालय के वेबसाईट पोर्टल पर ऑन–लाईन भरे जायेंगे।

6) प्रस्तावित योजना में प्राप्त आवेदनों का स्क्रीनिंग जिला स्तर पर संबंधित जिला के जिला अग्रणी बैंक पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति के समक्ष किया जायेगा, जिसके निम्नांकित सदस्य होंगे :–

(i) संबंधित जिले के जिला गव्य विकास पदाधिकारी – सदस्य सचिव

(ii) उद्योग विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी – सदस्य

7) स्क्रीनिंग समिति की बैठक जिला स्तर पर आयोजित की जायेगी, जिसमें क्रियान्वयन एजेंसियों से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा/जाँच कर आवेदक के साक्षात्कार में ऋण स्वीकृति से संबंधित निर्णय लिया जायेगा एवं स्वीकृत योग्य ऋण आवेदनों को अनुशंसा के साथ संबंधित बैंक को अग्रसारित किया जायेगा। ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक का यह दायित्त्व होगा कि अनुशंसित आवेदनों पर एक माह के अन्दर निर्णय लेते हुए आवेदक एवं संबंधित जिला के अग्रणी बैंक तथा जिला गव्य विकास कार्यालय को सूची के साथ सूचना उपलब्ध करायेंगे।

8) योजना के तहत स्वीकृत की जाने वाली सब्सिडी की राशि संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी को जिलावार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवंटित किया जायेगा। वैसे जिला जहाँ जिला गव्य विकास पदाधिकारी को क्रियान्वयन पदाधिकारी घोषित किया गया है, उन जिलों के लिए भी सब्सिडी के रूप में अनुदान की राशि का आवंटन सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराये जायेंगे, जो लक्ष्य के अनुरूप राशि की निकासी करेंगे।

9) प्रस्तावित योजना के तहत चयनित लाभूकों द्वारा देशी गायों/बाछी–हिफर का क्रय, अधिकृत पशु आपूर्तिकर्त्ता/राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, डेयरी सर्विस द्वारा राज्य के बाहर से लाये गये देशी गायों/बाछी–हिफर में से, गठित क्रय समिति के समक्ष किया जायेगा। पशुपालक राज्य के बाहर से भी पशु का क्रय कर सकते हैं।

10) दुधारू मवेशियों का क्रय, क्रय समिति के समक्ष किया जायेगा। क्रय समिति में संबंधित बैंक के प्रबंधक या उनके प्रतिनिधि, जिला गव्य विकास पदाधिकारी या

उनके प्रतिनिधि, संबंधित जिला के पशु चिकित्सक एवं बीमा पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि होंगे।

11) योजना अंतर्गत किसी भी इकाई की स्थापना अथवा क्रय परियोजना अंतर्गत निर्धारित लागत व्यय से अधिक होने पर भी सब्सिडी का भुगतान परियोजना शर्त्त के आधार पर ही किया जायेगा। अतिरिक्त व्यय होने वाली राशि का वहन लाभूकों को स्वयं करना होगा। लाभूकों द्वारा किसी भी इकाई की स्थापना अथवा क्रय परियोजना अंतर्गत आंशिक रूप में किये जाने की स्थिति में सब्सिडी का भुगतान भी अनुपातिक रूप से किया जायेगा। साथ ही सब्सिडी का वितरण Back ended होगी एवं पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा।

12) लाभूकों को बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के पश्चात् मवेशी क्रय/Asset creation के बाद निर्धारित नियम के अनुसार सब्सिडी की राशि विमुक्त करने हेतु दावा विपत्रा आवेदक के ऋण खाता संख्या एवं उसके खाते में Disburse की गई राशि अंकित करते हुए संबंधित जिला के क्रियान्वयन एजेंसी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, ताकि संबंधित जिले के क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा जाँचोपरांत प्रमाण–पत्र अंकित करते हुए सब्सिडी विमुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

13) प्रस्तावित योजना के तहत पिछले दो वर्षों में ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों में से वैसे आवेदक जिन्हें योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सका, वैसे आवेदकों को प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजना का लाभ दी जायेगी।

14) प्रस्तावित योजना के तहत लाभूकों के चयन में विभाग द्वारा प्रशिक्षित आवेदकों, दुग्ध सहकारिता समिति के सदस्यों एवं जीविका के स्वयं सहायता समूहों से जुड़े व्यक्तियों को क्रमानुसार प्राथमिकता दी जायेगी।

15) इस योजना के लाभूकों की उम्र 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

16) प्रस्तावित योजना के तहत निर्धारित सब्सिडी लाभूकों को दोनों स्थिति में देय होगा। यदि लाभूक बैंक से ऋण ले अथवा स्वलागत से क्रय करे। स्वलागत से डेयरी इकाई की स्थापना करने वाले लाभूकों को योजना लागत की पूर्ण राशि उपलब्ध होने संबंधी प्रमाण संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी यथा जिला गव्य विकास पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करना होगा। योजना के पूर्ण क्रियान्वयन (Asset creation) के पश्चात् ही सब्सिडी की राशि का भुगतान किया जायेगा। पशु क्रय के पश्चात लाभूक एवं क्रय समिति के सदस्यों का एक संयुक्त फोटाग्राफी किया जायेगा। दुधारू मवेशी के क्रय के समय मवेशी का डाटा ईयर टैग निश्चित रूप से लगाना होगा तथा जिला गव्य विकास पदाधिकारी को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि मवेशी में ईयर टैग लगा दिया गया है।

17) स्वलागत में देशी गाय/बाछी–हिफर का क्रय एक ही बार अथवा फेजवार करने के लिए लाभूक स्वयं स्वतंत्र होंगे। साथ ही साथ बैंक से स्वीकृत योजना में भी लाभूकों को स्वतंत्र अधिकार होगा कि वे एकबार में पूरी योजना का लाभ लेंगे अथवा किस्तवार।

18) प्रस्तावित योजना के तहत 04 देशी गाय/बाछी–हिफर की इकाई की स्थापना हेतु कम से कम 15 (पन्द्रह) डिसमिल अपनी जमीन या लीज की जमीन हो ताकि वे हरा चारा का उत्पादन कर सके।

19) प्रस्तावित योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में सब्सिडी के रूप में अनुदान पर कुल ₹ 3683.550 लाख (रूपये छत्तीस करोड़ तेरासी लाख पचपन हजार) मात्र का व्यय अनुमानित है (व्यय विवरणी संलग्न)।

20) प्रस्तावित योजना के तहत होने वाले व्यय का विकलन निम्न मुख्य शीर्ष के तहत किया जायेगा :–

(i) मुख्य शीर्ष–2404 –डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102 –डेयरी विकास परियोजनाएँ, उप शीर्ष–0116 –आधुनिक तकनीकों द्वारा दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण परियोजनाएँ, माँग संख्या–02, विपत्र कोड–02–2404001020116 के तहत विषय शीर्ष–0116.33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(ii) मुख्य शीर्ष–2404 –डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 –अनु० जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0103 –आधुनिक तकनीकों द्वारा दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण परियोजनाएँ, माँग संख्या–02, विपत्र कोड 02–2404007890103 के तहत विषय शीर्ष–0103.33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(iii) मुख्य शीर्ष–2404 –डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796 –जनजाति क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष–0102 –आधुनिक तकनीकों द्वारा दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण परियोजनाएँ, माँग संख्या–02, विपत्र कोड 02–2404007960102 के तहत विषय शीर्ष–0102.33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

21) प्रस्तावित योजना के तहत 3 प्रतिशत राशि अनुपूरक आगणन के माध्यम से अतिरिक्त बजट प्राप्त कर योजना का प्रचार–प्रसार के लिए किया जायेगा। प्रचार–प्रसार हेतु उक्त राशि का बजट प्रावधान अनुपूरक आगणन से प्राप्त होने पर राशि की निकासी निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना या प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

22) प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत कार्यकारी दिशा–निर्देश विभाग द्वारा समय–समय पर अलग से निर्गत किया जायेगा।

23) निदेशक, गव्य का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम०–04–15/2009–9736 वि०–2, दिनांक–19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०)

बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

24) चुकि यह एक सात निश्चय–2 के तहत चालू स्कीम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)02/2023 के पृष्ठ–41/टि०, दिनांक–30.04.2025.

25) राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(6)02/2023 के पृष्ठ–40/टि० तथा डायरी सं०–176, दिनांक–24.04.2025.

26) वित्त विभागीय पत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन
19/5/25

(गीता सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)02/2023– 2197 /पटना–15,दिनांक–20/05/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)02/2023– 2197 /पटना–15,दिनांक–20/05/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)02/2023– 2197 /पटना–15,दिनांक–20/05/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, गव्य, बिहार, पटना/सहायक निदेशक, पशुपालन, सूचना एवं प्रसार कार्यालय, बिहार, पटना/सभी जिला गव्य विकास पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)02/2023– 2197 /पटना–15,दिनांक–20/05/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)02/2023– 2197 /पटना–15,दिनांक–20/05/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा–06 के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

19/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)02/2023– 2197 /पटना–15,दिनांक–20/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/महालेखाकार, लेखा परीक्षा, महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

19/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)02/2023– 2197 /पटना–15,दिनांक–20/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ आई० टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ प्रेषित।

19/5/25

सरकार के अपर सचिव

अनुलग्नक–क

वित्तीय वर्ष 2025–26 में सात निश्चय–2 के तहत देशी गौ पालन प्रोत्साहन योजना पर विपत्र कोटिवार बजट उपबंधित राशि के विरूद्ध व्यय की जाने वाली राशि का व्यय विवरणीः–

क्रमांक	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	बजट उपबंधित व्यय की जाने वाली राशि (रुपये लाख में)
1	02–2404001020116 (सामान्य)	0116.33.01	2659.065
2	02–2404007890103 (अनुसूचित जाति)	0103.33.01	788.535
3	02–2404007960102 (अनुसूचित जनजाति)	0102.33.01	235.950
		योग :–	**3683.550**

(रूपये छतीस करोड़ तिरासी लाख पचपन हजार सौ) मात्र

2197
20/05/25

19/5/25

सरकार के अपर सचिव

अनुलग्नक–ख

वित्तीय वर्ष 2025–26 में "देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना (02 एवं 04 देशी गाय) के कार्यान्वयन पर अनुदान के रूप में होने वाले संभावित व्यय का व्यय विवरणी"

(रू0 लाख में)

क्र0	घटक	प्रति इकाई परियोजना लागत व्यय	भौतिक लक्ष्य	राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी के रूप में अनुदान का स्वरूप	राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में अनुदान की राशि	लाभान्वितों का अंशदान	बैंक द्वारा ऋण की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उन्नत नस्ल के 02 (दो) दुधारू देशी गाय (साहिवाल, गिर, थारपारकर)/बाछी–हिफर की डेयरी इकाई की स्थापना	₹2,42,000/-	967 इकाई	सभी वर्ग के लाभुकों को कुल परियोजना लागत का अधिकतम 50%	1170.070	कुल परियोजना लागत व्यय का 10%	कुल परियोजना लागत व्यय का 90%
			213 इकाई	अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को कुल परियोजना लागत का 75%	386.595	कुल परियोजना लागत व्यय का 5%	कुल परियोजना लागत व्यय का 95%
			269 इकाई	अनुसूचित जाति के लाभुकों को कुल परियोजना लागत का 75%	488.235	कुल परियोजना लागत व्यय का 5%	कुल परियोजना लागत व्यय का 95%
			130 इकाई	अनुसूचित जन जाति के लाभुकों को कुल परियोजना लागत का 75%	235.950	कुल परियोजना लागत व्यय का 5%	कुल परियोजना लागत व्यय का 95%
2.	उन्नत नस्ल के 04 (चार) दुधारू देशी गाय (साहिवाल, गिर, थारपारकर)/बाछी–हिफर की डेयरी इकाई की स्थापना	₹5,20,000/-	310 इकाई	सभी वर्ग के लाभुकों को कुल परियोजना लागत का अधिकतम 50%	806.00	कुल परियोजना लागत व्यय का 10%	कुल परियोजना लागत व्यय का 90%
			76 इकाई	अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को कुल परियोजना लागत का 75%	296.40	कुल परियोजना लागत व्यय का 5%	कुल परियोजना लागत व्यय का 95%
			77 इकाई	अनुसूचित जाति के लाभुकों को कुल परियोजना लागत का 75%	300.30	कुल परियोजना लागत व्यय का 5%	कुल परियोजना लागत व्यय का 95%
नोट :– विभिन्न घटकों में निर्धारित भौतिक लक्ष्य में माँग के अनुसार विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्त्तन किया जा सकेगा।							
कुल योग			2042 इकाई		3683.550		

(रुपये छतीस करोड़ तिरासी लाख पचपन हजार) मात्र

2197
20/05/25

सरकार के अपर सचिव

<u>अनुलग्नक–1</u>

(क) वित्तीय वर्ष 2025–26 में देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत सभी वर्ग के लिए 50% अनुदान तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 75% अनुदान पर 02 एवं 04 दुधारू देशी गाय की डेयरी इकाई के स्थापना हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य :–

क्र०	जिला	02 देशी गाय				04 देशी गाय				कुल	
		सामान्य वर्ग		अत्यंत पिछड़ा वर्ग		सामान्य वर्ग		अत्यंत पिछड़ा वर्ग			
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1	औरंगाबाद	25	3025000	5	907500	9	2340000	2	780000	41	7052500
2	रोहतास	25	3025000	5	907500	8	2080000	2	780000	40	6792500
3	कैमूर	25	3025000	5	907500	8	2080000	2	780000	40	6792500
4	अररिया	25	3025000	5	907500	7	1820000	2	780000	39	6532500
5	अरवल	25	3025000	5	907500	7	1820000	2	780000	39	6532500
6	जहानाबाद	25	3025000	5	907500	8	2080000	2	780000	40	6792500
7	बांका	25	3025000	5	907500	8	2080000	2	780000	40	6792500
8	भागलपुर	25	3025000	5	907500	9	2340000	2	780000	41	7052500
9	गोपालगंज	25	3025000	5	907500	7	1820000	2	780000	39	6532500
10	पूर्वी चम्पारण	25	3025000	5	907500	7	1820000	2	780000	39	6532500
11	प० चम्पारण	38	4598000	9	1633500	12	3120000	2	780000	61	10131500
12	जमुई	24	2904000	5	907500	7	1820000	2	780000	38	6411500
13	किशनगंज	24	2904000	5	907500	7	1820000	2	780000	38	6411500
14	कटिहार	24	2904000	6	1089000	7	1820000	2	780000	39	6593000
15	लखीसराय	25	3025000	6	1089000	8	2080000	2	780000	41	6974000
16	बेगूसराय	25	3025000	6	1089000	8	2080000	2	780000	41	6974000
17	मधुबनी	25	3025000	5	907500	8	2080000	2	780000	40	6792500
18	दरभंगा	25	3025000	6	1089000	7	1820000	2	780000	40	6714000
19	समस्तीपुर	25	3025000	6	1089000	8	2080000	2	780000	41	6974000
20	मधेपुरा	25	3025000	5	907500	8	2080000	2	780000	40	6792500
21	सहरसा	24	2904000	5	907500	8	2080000	2	780000	39	6671500
22	मुंगेर	25	3025000	6	1089000	9	2340000	2	780000	42	7234000
23	खगड़िया	25	3025000	6	1089000	8	2080000	2	780000	41	6974000
24	नालन्दा	38	4598000	9	1633500	12	3120000	2	780000	61	10131500
25	नवादा	24	2904000	5	907500	8	2080000	2	780000	39	6671500
26	गया	25	3025000	5	907500	8	2080000	2	780000	40	6792500
27	पूर्णिया	25	3025000	5	907500	8	2080000	2	780000	40	6792500
28	पटना	38	4598000	9	1633500	12	3120000	2	780000	61	10131500
29	भोजपुर	23	2783000	5	907500	8	2080000	2	780000	38	6550500
30	बक्सर	23	2783000	5	907500	8	2080000	2	780000	38	6550500
31	शेखपुरा	23	2783000	5	907500	8	2080000	2	780000	38	6550500
32	सीतामढ़ी	23	2783000	6	1089000	8	2080000	2	780000	39	6732000
33	शिवहर	23	2783000	5	907500	7	1820000	2	780000	37	6290500
34	मुजफ्फरपुर	23	2783000	6	1089000	8	2080000	2	780000	39	6732000
35	सुपौल	23	2783000	5	907500	8	2080000	2	780000	38	6550500
36	सारण	24	2904000	6	1089000	8	2080000	2	780000	40	6853000
37	वैशाली	24	2904000	5	907500	8	2080000	2	780000	39	6671500
38	सीवान	24	2904000	6	1089000	8	2080000	2	780000	40	6853000
कुल		**967**	**117007000**	**213**	**38659500**	**310**	**80600000**	**76**	**29640000**	**1566**	**265906500**

(रुपये छब्बीस करोड़ उनसठ लाख छः हजार पाँच सौ) मात्र

सरकार के अपर सचिव

अनुलग्नक–2

(ख) वित्तीय वर्ष 2025–26 में देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 75 % अनुदान पर 02 एवं 04 दुधारू देशी गाय की डेयरी इकाई हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य :–

क्रमांक	जिला	अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति		कुल	
		02 देशी गाय		04 देशी गाय		02 देशी गाय			
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1	औरंगाबाद	7	1270500	2	780000	0	0	9	2050500
2	रोहतास	6	1089000	2	780000	6	1089000	14	2958000
3	कैमूर	6	1089000	2	780000	7	1270500	15	3139500
4	अररिया	9	1633500	2	780000	8	1452000	19	3865500
5	अरवल	6	1089000	2	780000	0	0	8	1869000
6	जहानाबाद	6	1089000	2	780000	0	0	8	1869000
7	बांका	6	1089000	2	780000	8	1452000	16	3321000
8	भागलपुर	7	1270500	2	780000	6	1089000	15	3139500
9	गोपालगंज	7	1270500	2	780000	7	1270500	16	3321000
10	पूर्वी चम्पारण	7	1270500	2	780000	0	0	9	2050500
11	पश्चिम चम्पारण	11	1996500	4	1560000	10	1815000	25	5371500
12	जमुई	7	1270500	2	780000	7	1270500	16	3321000
13	किशनगंज	7	1270500	2	780000	7	1270500	16	3321000
14	कटिहार	6	1089000	2	780000	6	1089000	14	2958000
15	लखीसराय	7	1270500	2	780000	0	0	9	2050500
16	बेगूसराय	7	1270500	2	780000	0	0	9	2050500
17	मधुबनी	7	1270500	2	780000	0	0	9	2050500
18	दरभंगा	7	1270500	2	780000	0	0	9	2050500
19	समस्तीपुर	7	1270500	2	780000	0	0	9	2050500
20	मधेपुरा	7	1270500	2	780000	7	1270500	16	3321000
21	सहरसा	6	1089000	2	780000	6	1089000	14	2958000
22	मुंगेर	7	1270500	2	780000	6	1089000	15	3139500
23	खगड़िया	6	1089000	2	780000	0	0	8	1869000
24	नालन्दा	11	1996500	4	1560000	0	0	15	3556500
25	नवादा	7	1270500	2	780000	0	0	9	2050500
26	गया	7	1270500	2	780000	0	0	9	2050500
27	पूर्णिया	7	1270500	2	780000	8	1452000	17	3502500
28	पटना	11	1996500	4	1560000	0	0	15	3556500
29	भोजपुर	6	1089000	1	390000	6	1089000	13	2568000
30	बक्सर	7	1270500	1	390000	6	1089000	14	2749500
31	शेखपुरा	6	1089000	1	390000	0	0	7	1479000
32	सीतामढ़ी	7	1270500	2	780000	0	0	9	2050500
33	शिवहर	6	1089000	1	390000	0	0	7	1479000
34	मुजफ्फरपुर	7	1270500	2	780000	0	0	9	2050500
35	सुपौल	6	1089000	1	390000	7	1270500	14	2749500
36	सारण	9	1633500	2	780000	6	1089000	17	3502500
37	वैशाली	7	1270500	2	780000	0	0	9	2050500
38	सीवान	6	1089000	2	780000	6	1089000	14	2958000
कुल		**269**	**48823500**	**77**	**30030000**	**130**	**23595000**	**476**	**102448500**

(रूपये दस करोड़ चौबीस लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ) मात्र

सरकार के अपर सचिव

अनुलग्नक–3

वित्तीय वर्ष 2025–26 में देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना के लिए योजना की रूप रेखा

02 देशी गाय

(I) पूँजीगत खर्च :–

1.	देशी गाय–02	3500 लीटर दूध देने की क्षमता) (2 X 1,00,000) परिवहन सहित।	200000.00
2	पशु बीमा (ट्रांजिट बीमा सहित)	क्रय मूल्य का 6% की दर से रू0 2,00,000/– X 6%	12000.00
3.	पशुशाला निर्माण एवं अन्य व्यय		30000.00
	कुल राशि (रू0) –		**242000.00**

(रूपये दो लाख ब्यालीस हजार) मात्र

(II) एक इकाई की स्थापना पर व्यय की रूप–रेखा:–

क्र0	विवरण	अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनु0 जाति/जनजाति	शेष वर्ग के लिए
1.	योजना पर कुल लागत व्यय –	रू0 2,42,000/–	रू0 2,42,000/–
2.	लाभूक का अंशदान –	रू0 12,100/– (5%)	रू0 24,200/– (10%)
3	बैंक ऋण –	रू0 2,29,900/– (95%)	रू0 2,17,800/– (90%)
4	राज्य सरकार द्वारा अनुदान –	रू0 1,81,500/– (75%)	रू0 1,21,000/– (50%)

04 देशी गाय

(I) पूँजीगत खर्च :–

1.	देशी गाय–04	प्रति देशी गाय रू0 1,00,000/– की दर से (प्रति वियान 3500 लीटर दूध देने की क्षमता) (4 X 1,00,000) परिवहन सहित।	400000.00
2	पशु बीमा (ट्रांजिट बीमा सहित)	क्रय मूल्य का 6% की दर से रू0 4,00,000/– X 6%	24000.00
3	पशुशाला निर्माण	240 वर्ग फीट, प्रति वर्ग फीट रू0 400/– की दर से	96000.00
	कुल राशिः (रू0)		**520000.00**

(रूपये पाँच लाख बीस हजार) मात्र

(II) एक इकाई की स्थापना पर व्यय की रूप–रेखा:–

क्र0	विवरण	अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनु0 जाति/जनजाति	शेष वर्ग के लिए
1.	योजना पर कुल लागत व्यय (शेड सहित)–	रू0 5,20,000/–	रू0 5,20,000/–
2.	लाभूक का अंशदान –	रू0 26,000/– (5%)	रू0 52,000/– (10%)
3	बैंक ऋण –	रू0 4,94,000/– (95%)	रू0 4,68,000/– (90%)
4	राज्य सरकार द्वारा अनुदान –	रू0 3,90,000/– (75%)	रू0 2,60,000/– (50%)

19/5/25

सरकार के अपर सचिव